*102. [The questioner (Shrimati Vanga Geetha) was absent. For answer, *vide* page 24 *infra*.]

*103. [The questioner (Shri Rajnath Singh 'Surya') was absent. For answer, *vide* page 25 *infra*.]

THE DEPUTY CHAIRMAN: After Mr. Pramod Mahajan discussed about the quorum yesterday, this is the reaction to it. Q. No. 104.

सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन किया जाना

*104. **श्री बालकवि बैरागी:** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी खर्च पर चुनावों के बारे में विचार के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी हां, निर्वाचनों के राज्य वित्तपोषण संबंधी समिति (इन्द्रजीत गुप्त समिति) ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 14.1.1999 को दे दी थी, जो तारीख 22.8.2000 को राज्य सभा के पटल पर रख दी गई है।

State funding of elections

†*104. SHRI BALKAVI BAIRAGI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Committee constituted to consider the matter regarding State funding of elections has since submitted its report to Government; and

(b) if so, the details of the recommendations made by the Committee?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): (a) and (b) Yes, Sir. The Committee on State Funding of Elections (Indrajit Gupta Committee) had submitted its report to the Government on 14.1.1999 and the same has been laid on the Table of the Rajya Sabha on 22.8.2000.

श्री बालकवि बैरागी: माननीय उपसभापति महोदया, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के वित्त पोषण संबंधी इंद्रजीत गुप्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 14.1.99 को दे दी है जो 22.8.2000 को राज्य सभा के पटल पर रख दी गई है। इस रिपोर्ट पर केन्द्र की सरकार ने क्या कोई दृष्टिकोण स्पष्ट किया? इस रिपोर्ट को स्वीकार किया, अस्वीकार किया, इस रिपोर्ट के

†Original notice of the question was received in Hindi.

कितने अंशों से केन्द्र की सरकार सहमत है, असहमत है, इस बारे में यदि विस्तार से मंत्री महोदय प्रकाश डालें तो मैं समझता हूं कि यह सिलसिला ठीक दिशा में आगे बढ़ सकेगा। मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के किन अंशों से केन्द्र सरकार सहमत है, किन अंशों से असहमत है और उन अंशों की मुख्य बातें क्या हैं?

श्री अरुण जेटली: मैडम, रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात इस रिपोर्ट के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने सरकार के कई विभागों से जिनका इससे संबंध था उनकी राय मंगवाई थी। रिपोर्ट के ऊपर हर स्टेट गवर्नमेंट को लिखा और हर स्टेट गवर्नमेंट की राय मंगवाई गई है। जो प्रस्ताव इस रिपोर्ट के अंदर दिए गए हैं, उनके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने रिएक्शन्स भेज दिए हैं। उसके बाद सभी राजनीतिक दलों की भी बैठक हम लोगों ने बुलाई थी ताकि उनसे भी इस रिपोर्ट के संबंध में, अन्य चुनाव सुधारों के विषय के साथ-साथ इन पर चर्चा हो सके। वे सुझाव भी हमने इसी वर्ष सितम्बर महीने में राजनीतिक दलों से लिए हैं। इस विषय पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है और शीघ्र ही इस पर फाइनल डिसीजन ले लेगी।

श्री बालकवि बैरागी: माननीय उपसभापति महोदया, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम शीघ्र ही निर्णय करेंगे, यह शीघ्र ही जो टर्म है, यह बड़ी ही विचित्र टर्म है, इस पर कोई पूर्ण विराम नहीं लगता है। 1999 से लेकर अब तक करीब-करीब दो वर्ष हो गये हैं और इसकी रिपोर्ट सन् 2000 में आ चुकी थी, एक वर्ष भर में भी इस पर फैसला नहीं हुआ है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि कई प्रदेश की सरकारों ने इस पर आपको टिप्पणी दी है और शायद कई को देना बाकी है, आपने सितम्बर में बैठक भी कर ली, उसके लिए आपको धन्यवाद। आप और हम सब महसूस करते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक पद्धति के चुनाव दिनों-दिन मंहगे होते चले जा रहे हैं और धन बल, जन बल और भुज बल कई सारी उसमें शक्तियां लगती चली जा रही हैं। क्या आप जल्दी से जल्दी का कोई सीमान्त तय करेंगे कि इतने दिन के भीतर या इतने महीने के भीतर तो हम इस पर निश्चित निराकरण करके सदन के सामने सारी स्थिति रख देंगे ताकि उसके आधार पर हम चुनाव के बारे में कोई नई भूमिका शुरू कर सकें, क्या कोई निश्चित सीमान्त आपने तय किया है?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Time bound programme.

श्री अरुण जेटली: उपसभापति महोदया, जैसा कि मैंने इस विषय पर बतलाया है कि कई स्तर के ऊपर विचार-विमर्श की आवश्यकता थी। सरकार के भीतर के विभिन्न विभाग थे, राज्य सरकारें थीं और राजनीतिक दल थे। इन सभी से अभी सितम्बर में हमने चर्चा सम्पन्न की है और जो सरकार के निर्णय लेने की स्वयं की प्रक्रिया है वह एडवांस स्टेज के ऊपर है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The words 'advanced stage' are used in different terms.

श्री बालकवि बैरागी: माननीय उपसभापति महोदया, आप स्वयं देख रही हैं कि अपने उत्तर पर स्वयं विधि मंत्री जी हंसने लगे हैं। इससे आप अंदाज लगाइये कि यह कितना विचित्र सा उत्तर है।

क्या आपने कोई सीमा रेखा या सीमान्त तय किया है कि फलां तारीख तक तो हम इसका निर्णय कर लेंगे? कोई वर्ष, कोई समय, कोई तारीख ऐसी तय करके आप बता सकेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी?

श्री अरुण जेटली: उपसभापति महोदया, इस निर्णय को किसी समय-सीमा के अंदर बांधना सम्भव नहीं होगा। लेकिन जिस स्तर पर यह प्रक्रिया चल रही है आपको बहुत समय इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

प्रो. रामगोपाल यादव: उपसभापित महोदया, जिस कमेटी की चर्चा की गई है उस कमेटी में डा. मनमोहन सिंह जी थे, मैं भी था, लेकिन मुझे छोड़कर के हिन्दुस्तान के सभी बहुत बड़े लीडर्स थे। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसको अगर अन्य इलेक्टोरल रिफार्म्स के साथ जोड़ देंगे तो वह कभी लागू नहीं हो सकती है। मेरा यह अनुरोध है कि उसको अन्य रिफार्म्स के साथ न जोड़ा जाए।

दुर्भाग्य यह है कि चुनाव में इतने धन बल का प्रयोग होना शुरू हो गया है कि पालिटिकल पार्टीज के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वे चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। अच्छे कार्यकर्ताओं के चुनाव न लड़ पाने की वजह से कई बार बहुत गलत किस्म के लोग पार्लियामेंट में और विधान मंडलों में आ जाते हैं। इन्हीं को रोकने के उद्देश्य से, एक अच्छा कार्यकर्ता भी पार्लियामेंट और विधान मंडलों के चुनाव को लड़ सके, उस कमेटी ने यह रिपोर्ट दी थी और कुछ क्राइम्स को रोकने में मदद के लिए सजेशन्स दिये थे। लेकिन उन्हें अन्य इलेक्टोरल रिफार्म्स से जोड़ दिया गया जो कि बहुत विवादास्पद है और अगर उनके साथ जोड़कर इसको किया जायेगा तो यह कार्य कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या केवल स्वर्गीय इन्द्रजीत गुप्त कमेटी की जो रिपोर्ट थी सिर्फ उसी कमेटी की रिपोर्ट पर वह आगे कार्यवाही करने के लिए विचार करेंगे, अन्य इलेक्टोरल रिफार्म्स को उससे अलग करके?

श्री अरुण जेटली: महोदया, मैं माननीय सदस्य के इस प्रश्न से और प्रश्न के पीछे जो भाव है, उससे सहमत हूं कि चुनाव सुधार बहुत बड़ा विषय है और उसका एक अंग है कि पॉलिटिकल प्रोसैस की फंडिंग किस प्रकार से होगी? इंद्रजीत गुप्ता जी की जो रिपोर्ट है, उसमें एक सुझाव दिया गया है कि किस प्रकार से स्टेट फंडिग हो। उस सुझाव के तहत यह भी सुझाव है कि कैश न देकर किसी प्रकार से काइंड में दिया जाए और यह सुझाव है कि लगभग 600 करोड़ की राशि केन्द्रीय सरकार दे और 600 करोड़ की राशि राज्य सरकारें दें और एक इलैक्टोरल फंड क्रिएट हो। इसके अतिरिक्त इसी विषय के साथ जुड़े हुए दो अन्य विषय हैं कि क्या इलैक्शन में जो खर्चा होता है, उम्मीदवार खर्चा करता है, उसकी सीमा के संबंध में जो कानून है, उसमें परिवर्तन करना चाहिए। कमेटी ने उसका भी सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त कुछ विषय ऐसे हैं जो उस कमेटी ने खुले छोड़ दिये हैं जैसे राजनैतिक दलों को जो धन मिलता है, उसकी व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, उसमें टैक्स रिबेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कारपोरेट फंडिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पर सरकार

निर्णय ले, कमेटी ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। इन तीनों विषयों के संबंध में सरकार फाइनल डिसीज़न लेने वाली है और इसको चुनाव सुधार के दूसरे विषय से अलग करके हम देख रहे हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभापति महोदया, जब तक राज्य चुनाव के खर्चे को वहन करने की स्थिति में नहीं आ जाता और यह कानून पारित नहीं हो जाता, मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि चुनाव को कम खर्चीला बनाने के लिए क्या कोई और भी सुझाव आपके दिमाग में हैं?

उपसभापति: महिलाओं का किसी ने जिक्र नहीं किया कि अगर वे चुनाव लड़ेंगी तो कहां से फंड लाएंगी?

श्री अरुण जेटली: इस कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं, उन सुझावों के तहत भी ऐसे सुझाव हैं जिनके तहत खर्चा कम हो सकता है। इलैक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग उम्मीदवारों और राजनैतिक दलों को मिले। केवल प्रसार भारती का जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है—दूरदर्शन—उसके अतिरिक्त प्राइवेट चैनल्स के संबंध में भी उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि उसका भी टाइम शेयरिंग क्या हो सकता है जिससे अन्य चुनाव के खर्चों में कमी लाई जा सके। एक और सुझाव दिया है कि जो संशोधन कानून में पहले हुआ था कि राजनैतिक दल द्वारा किया गया खर्चा कई बार उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जुड़ता, क्या उसको भी जोड़ने की आवश्यकता है। यह विषय भी इस रिकमेंडेशन से उभरता है, जिस पर सरकार विचार कर रही है।

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Madam Deputy Chairman, this issue of State funding of elections has been pending since the Dinesh Goswami Committee's Report came first; thereafter, it was discussed in several Committees. I would, particularly, remind the Minister of Law, Justice and Company Affairs that Shri L.K. Advani, who is now the Home Minister, was the greatest champion of State funding of elections, and a lot of work has been done. I don't find any impediment in State funding because it was agreed to in the Speaker's Chamber, when I was the Law Minister, that at least a beginning could be made by giving some help in kind. And, I think, this is a thing which we can implement immediately, without waiting for larger funding of elections. You will appreciate that the use of money power has eaten the vitals of our democracy. Year after year, we find political parties looking to the corporate world for illegal funds, and they have started speaking in open now against Governments and politicians. Therefore, this matter has acquired urgency, and I would request the hon. Minister to expedite it— this issue has been discussed threadbare—in whatever way so that we are, at least, relieved of this agony of the general accusation that all politicians are corrupt, that all political parties are corrupt. This must go because money is required for fighting elections; it is a process of democracy. Madam, we are creating consensus on various issues; this is an issue which requires an immediate consensus. Two days ago, I again saw the

Home Minister speaking on this very issue. Now this issue must be decided before we go to another round of polls so that no political party needs to run to the corporate world for money. Therefore, I would request the hon. Minister to see that this advanced stage results to delivery.

SHRI ARUN JAITELY: Madam, the hon. Member has raised several issues and stressed upon the fact that it is required and that it is of utmost urgency. I completely agree with the hon. Member and I can assure him that, since it is at a very advanced stage, the Government would be, very soon, taking a final view in the matter. There is a Group under the Home Minister which is actively considering the views of State Governments, political parties, the recommendations of the Indrajit Gupta Committee and various other suggestions that have been made.

The hon. Member spoke in terms of impediments. I must mention that when we obtained the views of State Governments, a few State Governments had reservations about the report. The others, who accepted the report, said almost in one voice that they were not willing to share any part of the expenses. That itself became a factor which has to be considered.

The second factor is that the recommendations of the Committee have provided that a political party and a candidate would be entitled to, not cash, but in terms of kind; for instance, a rent-free accommodation for a political party, one rent-free telephone for a political party, air-time at the time of elections, both on the public broadcaster and the private channels, etc. As far as the candidate is concerned, some definite quantity of paper for publicity material, diesel, etc. have been mentioned. But the question would arise—and that is what the hon. Member has said—as to what happens to the expenditure which candidates and parties would undertake outside of that. I must mention that we are taking all views into consideration. The Congress Party had prepared a report; it was prepared by a Committee headed by Dr. Manmohan Singh, the Leader of the Opposition in this House. We have also examined that document and we found that there were some valuable suggestions even made in that document on how to add transparency to the whole process of political funding. The hon. Member said that parties had been depending on illegal funds from corporate houses. What is the process? We have also examined models in other countries. Britain, for instance, has recently enacted an entire new law which defines how accounts of political parties are to be maintained in a transparent manner and what the constraints are on this maintenance of accounts. All those factors are being taken into consideration, before the Government takes a decision, and I can tell the hon. Members, when he says that it should be done

urgently, we are also equally concerned and convinced about the grave urgency of this matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri S.B. Chavan.

श्री लछमन सिंह: मैडम, मैं बोलना चाहूंगा, मुझे भी बोलने दीजिए। I want to speak on this, Madam. I have fought eight elections.

उपसभापति: कल ही हम लोगों ने डिसिजन लिया है कि क्वेश्चन आवर्स में जिसको आइडेन्टिफाई किया है, पहले वह बोले। आप बोलना चाहेंगे तो जरूर हाथ उठा दीजिए।

SHRI S.B. CHAVAN: Madam Deputy Chairperson, this issue of electoral reforms has been under consideration since very long. The Indrajit Gupta Committee was appointed and these are matters which, in fact, are going to be decided only by political consensus. According to the information that I have with me, State Governments' resource position is not really that happy. But, despite the differences between the State Governments and the Central Government, if the Government of India is really serious about the whole matter, will it think of calling a meeting of all the political parties and take a final view as to whether it is in a position to go ahead with the kind of recommendations that I am going to make? There are two things. One is about a very partial sort of funding of State elections that Indrajit Gupta Committee has recommended. The second is, whether, because of the communal atmosphere that is being generated, the Government can also think in terms of having something like the Germans have; they have a system which is called the List System, where the name of the candidate is not available and it is the party for which the people are supposed to vote. This, according to our information, will, to some extent, minimise the communal atmosphere that is normally being generated for getting votes. These are the two issues on which I would request the hon. Minister to kindly call a meeting of all the political parties and take a final view, if we are politically prepared to take a decision in the matter.

SHRI ARUN JAITELY: Madam, this whole issue of who should foot the bill in the even of there being a partial State-funding in kind need serious consideration of the Government. As I mentioned earlier, after we received the comments of the State Governments and various Departments of the Government and also of the Finance Ministry, we called a meeting of all political parties, just recently, on 13th September where those recommendations were circulated to the Members. All the political parties were invited to make their comments; most of the political parties did attend the meeting. There was a larger consensus in favour of some of the recommendations made by the Committee, that the

assistance, out of the State funding, should be in kind rather than in cash. Some of the major political parties were also in favour of extending the scope of electoral reforms in relation to political funding, in terms of legitimising political funding, subject to the condition how accounts are to be audited and maintained, and what kind of fiscal structure should be maintained in relation to them. This has already been done. In case any party or any hon. Member has any further suggestion to give in this regard, we would welcome it.

DR. KARAN SINGH: Madam, this whole question of electoral reforms is something that has been exercising the minds of the people and the thinkers in this country now for many years. A large number of suggestions have emerged from various committees, including the one Public Service Committee we set up, in the India International Centre, and a lot of views have been given. I am not going into the broader question; I hope the entire gamut will be studied. This specific question is regarding State funding. What I would like to know from the hon. Minister is, the next round of General Elections are due only three years from now; whereas the next round of State elections are coming up within the next three or four months. Will it at all be possible for the Government to come up with some concrete proposals before the next round of Assembly elections which are due; or will we now really have to wait for another three years until the General Elections?

SHRI ARUN JAITELY: Madam, I have mentioned that it may be difficult for me to give the exact time-frame since very extensive consultations are required when you change your system of funding elections. The bulk of the consultations have already taken place. The matter, as I said, is under the very serious consideration of the Government; a decision will be taken very soon in the matter. But for me to give the time-frame in which the decision would be taken may not be possible, at this stage. We are trying our best to expedite it, as far as possible. We also had a consultation just in middle of the last month with all the Chambers and Industry as to what they feel about those parts of the recommendations which the Indrajit Gupta Committee left to the Government and which the Dr. Manmohan Singh Committee had talked of.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think a lot of answers have been given. The Minister is not going beyond what he has already said. I think he has completed his answer, but I don't know what Mr. Lachhman Singh has to say because he said he has contested some elections. सवाल का जवाब .....(व्यवधान)।

SHRI LACHHMAN SINGH: I have a vast experience with regard to voters. I know what they want. They don't want anything in kind. A voter is not interested

in paper and all that. They need so many things. How will they do that? I would like to put a specific question to the hon. Minister in this regard.

उपसभापति: पूछिए।

श्री लछमन सिंह: थैंक यू मैडम, यह तजवीज बहुत लंबे अरसे से सरकार के जेरगौर है कि स्टेट फंडिंग हो या सैंट्रल फंडिंग। मैडम, आज देश के अंदर रीजनल पार्टी का बहुत दबदबा और जोर है और वह बहुत अमीर है। नेशनल पार्टी से रीजनल पार्टी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा धन है और उसमें बहुत बड़े-बड़े अमीर आदमी आते हैं। जब कभी इलैक्शन होते हैं-इलैक्शन चाहे असेम्बली का हो या पार्लियामेंट का हो, हम अखबारों में पढ़ते हैं कि लाखों-करोड़ों रुपया लगता है। सरकार कायदे में कितना पैसा देगी? कौन लेता है? वोटर को न रेडियो चाहिए, न उसे टेलीविजन देखना है, उसे बहुत कुछ चाहिए जो मैं यहां नहीं बता सकता हूं। इसका हिसाब-किताब क्या होगा? हर पोलिटिकल पार्टी पैसे वाला कैंडीडेट देखती है, इनफ्लुन्सिअल देखती है, यह देखती है कि वह जानदार है या नहीं। चुनाव का पंद्रह दिन का टाइम होता है इसलिए इसके बारे में कौन सोचता है? इतने टाइम में तो सरकार का पैसा भी नहीं आएगा और इलैक्शन खत्म हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी पैसा नहीं देगी, बिल पास नहीं होगा, फाइनेंस मिनिस्टर चैक नहीं काटेगा, पेमेंट नहीं होगी और इतने में इलैक्शन खत्म भी हो जाएगा क्योंकि Only fifteen days are at their disposal. क्या सरकार पहले से पैसे देगी? बगैर पैसे के इलैक्शन कैसे लड़ा जा सकता है? पैट्रोल वाला मुफ्त में तो पैट्रोल देगा नहीं, पैसा मांगेगा और ये बिल कैसे पास करेंगे? मैडम, सरकार के पैसे का आज कोई इंतजार नहीं करता। सबके पास पैसा है। आज तो ऐसे-ऐसे आदमी हैं जो लाखों रुपया टिकट लेने के लिए देते हैं। क्या वे सरकार के ऊपर निर्भर रहेंगे? हम ईमानदारी से कोई बात हाउस में नहीं करते। जिसने इलैक्शन लड़ा हो उससे पूछिए। ट्रांसपरेंसी में बिलीव करने वाले कभी चुनाव नहीं जीतते, कभी जीतते ही नहीं। वह ट्रांसपरेंसी में बैठा रहेगा और हार जाएगा। हमारे यहां वातावरण बहुत खराब हो चुका है। हर पोलिटिकल पार्टी पैसे वाले को टिकट देती है। मैडम, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वे कितना पैसा पार्लियामेंट के अंदर और कितना पैसा असेंबली के अंदर चुनाव लड़ने के लिए देना चाहेंगे? पार्लियामेंट के चुनाव में करोड़ों रुपए लगते हैं और असेम्बली के चुनाव में लाखों लग जाते हैं।

उपसभापति: हो गया। उनको जवाब देने दीजिए। .....**(व्यवधान)**.....

श्री लछमन सिंह: औरतें कैसे जीत पायेंगी? इस माहौल में महिलायें जीत ही नहीं सकतीं। उन बेचारियों को न तो पैसे मिलते हैं और न उनकी कोई मदद करता है। रिजर्वेशन की बात तो आप करते नहीं और औरतों की बात करते हैं। बहुत सारी चीजें लंबे अर्से से लटकी हुई हैं। हर पोलिटिकल पार्टी लटका रही हैं। केवल हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इसके हक में है बाकी पार्टियां कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल कर रही हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या स्टेट फंडिंग से पहले वे 33 परसेंट रिजर्वेशन पर फैसला लेंगे ताकि औरतों को बराबर का हक मिल सके? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वे कितना पैसा देंगे और कैसे देंगे?

श्री अरुण जेटली: मैडम, जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया था कि इन्द्रजीत गुप्त कमेटी का जो सुझाव है उसके तहत किसी उम्मीदवार को पैसा मिलने वाला नहीं है।

श्री लछमन सिंह: तब तो कोई फायदा नहीं है। .....(व्यवधान)......

श्री अरुण जेटली: किसी उम्मीदवार को पैसा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि उन लोगों को पैसे के स्थान पर चुनाव के अंदर जिस सामग्री का प्रयोग होता है उसको दीजिए। आप डीजल के कूपन्स दीजिए, पेपर का कोटा दीजिए, पोस्टल स्टैम्पस् दीजिए, इलेक्टोरल की फ्री कापीज दीजिए, तो प्रश्न यह उठता है। लेकिन माननीय सदस्य ने इसे इस रूप में नहीं लिया है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसके अतिरिक्त जो उम्मीदवार का खर्चा होगा क्या उसके ऊपर रोक लग पाएगी। उसकी सीमा बंधी हुई है। उसकी फंडिंग किस प्रकार से होगी, इस बारे में सुझाव आए हैं और विशेषरूप से माननीय सदस्य के दल ने जो सुझाव रखे है उन सुझावों पर भी सरकार विचार कर रही है कि उनकी फंडिंग किस प्रकार से होगी। इससे अधिक अगर कोई खर्च करता है, जिसका जिक्र आपने किया है तो कानून की दृष्टि से उनको इसकी अनुमति नहीं दी जाती। इसलिए इस व्यवस्था में इसकी अनुमति दी जाए या इसको मान्यता दी जाए, यह संभव नहीं होगा।

उपसभापति: जिन बातों का उन्होंने जिक्र नहीं किया उन बातों का आप आंसर नहीं दे सकते।

*105. [The questioner (Shri Kripal Parmar) was absent. For answer, vide page 26 *infra.]*

*106. [The questioners (Shri Santosh Bagrodia and Shri Prakanta Warisa) were absent. For answer, vide page 27-28 *infra.*]

*107. [The questioner (Shri Satish Pradhan) was absent. For answer, vide page 29 *infra.*]

*108. [The questioner (Dr. Alladi P. Rajkumar) was absent. For answer, vide page 29 *infra.*]

Vacancies in Prasar Bharati Board

*109. SHRI KARTAR SINGH DUGGAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the procedure for filling-up of the vacancies and reconstitution of the Prasar Bharati Board;

(b) the criteria for the selection of Chairman and Members of the Board;

(c) whether there is a search panel to do the scouting of talent for the selection board; and

(d) why should it take more than a year to fill in vacancies as has happened of late?